बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633 / 2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 52 दिनांक 13-11-2017

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार।

विषयः– श्री सुरेश पासवान, विशेष सचिव सम्प्रति– निलम्बित को निलम्बन से मुक्त करने के संबंध में।

प्रसंगः– संघ का पत्रांक 03, दिनांक– 21.02.2017

महाशय,

उपरोक्त विषयक संघ के पत्रांक 03, दिनांक– 21.02.2017 द्वारा श्री पासवान को निलम्बन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया था। श्री पासवान के द्वारा संघ से पुनः अनुरोध किया गया है तथा श्री एस0एम0 राजू (भा0प्र0से0), तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री रमेश कुमार मल्ल, पुलिस उपाधीक्षक–सह–अनुसंधानकर्त्ता, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को समर्पित सफाई बयान की प्रति संलग्न की गई है जिसमें वर्णित है कि **"राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिए संचालित प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत विभागीय प्रधान होने के नाते अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अपना समझकर, छात्रों के कल्याण हेतु, उस समय की परिस्थिति को देखते हुए अधोहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। छात्रवृत्ति की स्वीकृति में किसी प्रकार** की कोई साजिश नहीं की गयी है और यह स्वीकृति केन्द्र सरकार के द्वारा निर्गत मार्गदर्शन पत्रांक 11017/01/2008–SCD-V, दिनांक– 31.12.2010 के अनुसार ही स्वीकृत किया गया है, चूँकि यह केन्द्र प्रायोजित योजना है। राज्य सरकार के दिशा–निदेश के अनुसार इसकी स्वीकृति जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए था, लेकिन विषम परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली एवं राज्य

मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना में प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए एवं छात्र–छात्राओं के आत्म हत्या करने की धमकी दिये जाने के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार से उत्पन्न विकट परिस्थिति एवं अनहोनी की घटना घटित न हो एवं सरकार पर इसका कोई बुरा प्रभाव न पड़े यह सब सोचकर ही संस्थानों के मांग के आलोक में छात्रों की छात्रवृत्ति मुख्यालय से स्वीकृत करने का निर्णय विभागीय प्रधान होने के नाते लिया गया था।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निगरानी कांड सं0–127/2016 में श्री पासवान की कोई भूमिका नहीं रही है न ही किसी प्रकार की संलिप्ता रही है। इस संदर्भ में श्री पासवान द्वारा स्पष्ट किया गया है कि **"प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति से संबंधित मामलों में छात्रवृत्ति विमुक्त करने की प्रक्रिया एवं इसका क्रियान्वयन निदेशालय से संबंधित कर्मी एवं सहायक निदेशक/उप निदेशक द्वारा पूर्ण करके उपस्थापित किया गया था, जो सचिव–सह–निदेशक के विमर्शोपरान्त तैयार किया गया था। उक्त विमर्श में न ही मैं उपस्थित था, न ही इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी/सूचना मुझे दी गयी थी।**

संबंधित दोनों कॉलेजों/संस्थानों में छात्रवृत्ति विमुक्ति का निर्णय एवं आदेश सचिव द्वारा दिया गया। विभागीय सचिव के अधीन कार्य करने की प्रशासनिक अनिवार्यता के कारण ही मेरे द्वारा प्रस्ताव एवं प्रारूप को अनुमोदनार्थ सचिव को **पृष्ठांकित किया गया था।"**

श्री पासवान दिनांक– 16.01.2017 के प्रभाव से निलम्बित है जिसके कारण पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन एवं बच्चों के पठन–पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

संघ का अनुरोध है कि श्री पासवान को निलम्बन से मुक्त करने की कार्रवाई की जाय।

13/11

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

13/11/16

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः– श्री सुरेश पासवान, सम्प्रति– निलम्बित, तत्कालीन विशेष सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/11/16

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव